

[2024] 2 एस.सी.आर. 743 : 2024 आईएनएससी 138

राम नाथ

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

(आपराधिक अपील संख्या 472/2012)

21 फरवरी 2024

[न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति संजय करोल]

विचारार्थ मुद्दा

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (एफएसएसए) के अध्याय IX और दंड संहिता, 1860 की धारा 272 और 273 के प्रावधानों के बीच परस्पर क्रिया; क्या मेसर्स पेप्सिको इंडिया होल्डिंग्स (प्राइवेट) लिमिटेड एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण सही है, जिसमें कहा गया था कि दिनांक 29 जुलाई 2010 से एफएसएसए के लागू होने के बाद, इसका अन्य खाद्य संबंधी कानूनों पर भी प्रभाव पड़ेगा, जिसमें खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 और आईपीसी की धारा 272, 273 शामिल हैं, जिसे आपराधिक अपील संख्या 476-478/2012 में चुनौती दी गई है।

हेडनोट्स

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 – धारा 89, 59 – अन्य सभी खाद्य संबंधी कानूनों पर इस अधिनियम का अधिभावी प्रभाव – असुरक्षित भोजन के लिए सजा – दंड संहिता, 1860 – धारा 272, 273 – बिक्री के लिए इच्छित भोजन या पेय में मिलावट – हानिकारक भोजन या पेय की बिक्री – उत्तर प्रदेश राज्य ने एक आदेश जारी कर अधिकारियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 272 और 273 के साथ-साथ खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के तहत मुकदमा चलाने की शक्ति प्रदान की है – आईपीसी की धारा 272, 273 के तहत अपराध करने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज की गई – इसे रद्द करने की मांग वाली याचिकाएं उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई – आरोपियों ने अन्य बातों के साथ-साथ यह दलील दी कि आईपीसी की धारा 89 के प्रावधानों पर अधिभावी प्रभाव होगा:

अवधारित किया गया: एफएसएसए की धारा 89 के आधार पर, आईपीसी की धारा 59 की धारा 272 और 273 के प्रावधानों का उल्लंघन करेगी – इसलिए, दोनों कानूनों के तहत एक साथ अभियोजन का कोई सवाल ही नहीं होगा – आपराधिक अपील संख्या 472/2012, 479/2012 तथा विशेष अनुमति याचिका (सीआरएल) संख्या 1379/2011 से उत्पन्न आपराधिक अपील में आक्षेपित आदेश निरस्त किए गए – इन अपीलों के विषय-वस्तु वाले अपराधों को रद्द और उन्हें अपास्त कर दिया गया – एफएसएसए की धारा 59 के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के लिए एफएसएसए के अनुसार कार्य करने के लिए प्राधिकारियों को स्वतंत्रता दी गई – आपराधिक अपील संख्या 476-478/2012 खारिज की गई। [पैरा 21, 22]

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 – धारा 59, 48 – दंड संहिता, 1860 – धारा 272, 273 – एफएसएसए की धारा 59 के तहत अपराध, भले ही आईपीसी की धारा 272 में दिए गए इरादे के अभाव में किया

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

गया हो- धारा 48 की उपधारा 1 में ज्ञान को एक आवश्यक घटक माना गया है, और इस प्रकार, एफएसएसए की धारा 59 का एक भाग है:

अवधारित किया गया: जब भारतीय दंड संहिता की धारा 272 और 273 के तहत अपराध सिद्ध हो जाते हैं, तो एफएसएसए की धारा 59 के तहत अपराध भी आकर्षित होंगे- वास्तव में, एफएसएसए की धारा 59 के तहत अपराध अधिक कठोर है - भारतीय दंड संहिता की धारा 273 तब लागू होती है जब कोई व्यक्ति किसी खाद्य या पेय पदार्थ को बेचता है, बिक्री के लिए प्रस्तुत करता है या प्रदर्शित करता है जो हानिकारक हो गया है या खाने या पीने के लिए अनुपयुक्त हो गया है- धारा 273 में ज्ञान या उचित विश्वास की आवश्यकताएं शामिल हैं कि बेचा गया या बिक्री के लिए पेश किया गया भोजन या पेय हानिकारक है-एफएसएसए की धारा 59 में आईपीसी की धारा 272 द्वारा परिकल्पित इरादे की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है- एफएसएसए की धारा 59 के तहत, वह व्यक्ति अपराध करता है जो स्वयं या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मानव उपभोग के लिए किसी ऐसे खाद्य पदार्थ का विनिर्माण या भंडारण या बिक्री या वितरण करता है जो मानव उपभोग के लिए असुरक्षित है- इसलिए, एफएसएसए की धारा 59 के तहत अपराध तब भी बनता है, जब आईपीसी की धारा 272 के अनुसार इरादे का अभाव हो- हालाँकि, धारा 48 की उपधारा 1 में ज्ञान एक आवश्यक घटक है, और इसलिए, यह एफएसएसए की धारा 59 का एक हिस्सा होगा। [पैरा 18]

कानून की व्याख्या - खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 - धारा 89 - इस अधिनियम का अन्य सभी खाद्य संबंधी कानूनों पर प्रभाव-मुख्य धारा एफएसएसए के प्रावधानों को किसी भी अन्य कानून पर अधिभावी प्रभाव देती है-धारा स्पष्ट है, इसलिए उसकी व्याख्या करने के लिए धारा के शीर्षक या उसके हाशिए पर दिए गए नोट का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए:

अवधारित किया गया: इस खंड का शीर्षक वास्तव में यह इंगित करता है कि इसका उद्देश्य एफएसएसए को सभी 'खाद्य-संबंधी कानूनों' पर अधिभावी प्रभाव देना है- हालाँकि, मुख्य धारा में, ऐसा कोई प्रतिबंध 'खाद्य-संबंधी कानूनों' तक सीमित नहीं है, और यह प्रावधान किया गया है कि एफएसएसए के प्रावधान वर्तमान में लागू किसी भी अन्य कानून में निहित किसी भी असंगत बात के बावजूद प्रभावी होंगे- इसलिए, यह धारा यह संकेत देती है कि एफएसएसए के प्रावधानों को किसी भी अन्य कानून पर अधिभावी प्रभाव दिया गया है- स्थापित नियम यह है कि यदि मुख्य धारा स्पष्ट है, तो उसकी व्याख्या करने के लिए धारा के शीर्षक या उसके हाशिए पर लिखे नोट की सहायता नहीं ली जा सकती- केवल तभी जब यह अस्पष्ट हो, विधायिका की मंशा को समझने के लिए धारा के शीर्षक या हाशिए पर दिए गए नोट को देखा जा सकता है- इसलिए, मुख्य धारा स्पष्ट रूप से एफएसएसए के प्रावधानों को किसी भी अन्य कानून पर अधिभावी प्रभाव देती है, जहां तक कानून एफएसएसए द्वारा कवर किए गए क्षेत्र में खाद्य के पहलुओं पर लागू होता है। [पैरा 20]

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 - अध्याय IX - धारा 49- 58 - अपराध और दंड - अध्याय X - न्यायनिर्णयन और खाद्य सुरक्षा अपीलीय न्यायाधिकरण - चर्चा - दंड प्रक्रिया संहिता, 1973।

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 - धारा 3 खंड (यय), (क), (यभ) - "असुरक्षित खाद्य"; "अपद्रव्य"; "अवमानक":

अवधारित किया गया: असुरक्षित भोजन की अवधारणा मिलावटी भोजन की अवधारणा से अधिक व्यापक है- असुरक्षित भोजन से तात्पर्य ऐसे खाद्य पदार्थ से है जिसकी प्रकृति, पदार्थ या गुणवत्ता इस प्रकार प्रभावित हो कि

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाए- यदि किसी खाद्य पदार्थ में कोई मिलावट की जाती है, जिससे वह खाद्य पदार्थ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाता है, तो वह खाद्य पदार्थ असुरक्षित खाद्य पदार्थ बन जाता है- इसके अलावा, घटिया भोजन असुरक्षित भोजन नहीं हो सकता। [पैरा 9-11]

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 – उद्देश्य और कारण – चर्चा की गई।

केस कानून का उद्धरण

स्वामी अच्युतानंद तीर्थ बनाम भारत संघ एवं अन्य, (2014) 13 एससीसी 314; महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य बनाम सैय्यद हसन सैय्यद सुभान और अन्य, (2019) 18 एससीसी 145; मप्र राज्य बनाम केडिया लेदर एंड लिंकर लिमिटेड और अन्य, [2003] सप. 2 एससीआर 727 : (2003) 7 एससीसी 389; जीवन कुमार राऊत एवं अन्य बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो, [2009] 10 एससीआर 272 : (2009) 7 एससीसी 526; उत्तर प्रदेश प्रदेश बनाम अमन मित्तल एवं अन्य, [2019] 11 एससीआर 1180: (2019) 19 एससीसी 740 – संदर्भित।

मेसर्स पेप्सिको इंडिया होल्डिंग्स (प्राइवेट) लिमिटेड और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, 2010 एससीसी ऑनलाइन आल 1708 – स्वीकृत।

अधिनियमों की सूची

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006; खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954; दंड संहिता, 1860; दंड प्रक्रिया संहिता, 1973; सामान्य खण्ड अधिनियम 1897।

कीवर्ड की सूची

अधिभावी प्रभाव; खाद्य/पेय में मिलावट; इरादा; ज्ञान; उचित विश्वास; एक साथ अभियोजन; कानून की व्याख्या; अनुभाग स्पष्ट, अनुभाग/सीमांत नोट के शीर्षक की सहायता।

से उत्पन्न मामला

आपराधिक अपील की क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 472/2012

डब्ल्यूपीसीआरएल संख्या 18831/2010 में उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के निर्णय और आदेश दिनांक 05.10.2010 से

के साथ

आपराधिक अपील संख्या 479, 476-478/2012 और आपराधिक अपील संख्या 1068/2024

पक्षकारों के लिए उपस्थिति

उपस्थित पक्षकारों के लिए अधिवक्तागण- विक्रमजीत बनर्जी, एसजी, अर्धेन्दुमौली कुमार प्रसाद, ए.ए.जी., मनिंदर सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता, गर्वेश काबरा, अमित सिंह, श्रीमती निकिता जाजू, अहमर शेख, यदुनंदन बंसल, रउफ रहीम, अली असगर रहीम, अंबोज कुमार सिन्हा, धीरज नायर, कुमार किसलय, सुश्री अवनी शर्मा, कु. रिधिमा शर्मा, अजय सभरवाल, कु. आशिता चावला, अभिषेक सिंह, नचिकेता जोशी, नवांजय महापात्रा, टी.एस. सबरीश, गुरुमीत सिंह मक्कड़, श्रीमती निरंजना सिंह, सिद्धार्थ सिंगला, विष्णु शंकर जैन, आशीष मदान, कु. अन्नया साहू, पार्थ यादव, कु. मणि मुंजाल, विश्व पाल सिंह, जमनेश कुमार, पार्थ शेखर, कु. अम्बाली वेदसेन, शुभम् सिंह, कु. मोनिका हसीजा, मो सौंदर्य मिया, निखिल कुमार, बिनोद कुमार सिंह, हिमांशु शेखर।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

निर्णय

न्यायमूर्ति अभय एस. ओका

1. विशेष अनुमति याचिका (क्रि.) संख्या 1379/2011 की अनुमति दी जाती है।
2. इन अपीलों में शामिल मुद्दा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (संक्षेप में, 'एफ.एस.एस.ए.') के अध्याय IX और भारतीय दंड संहिता (संक्षेप में, 'आईपीसी') की धारा 272 और 273 के प्रावधानों के बीच परस्पर संबंध के बारे में है।

तथ्यात्मक पहलू

3. आपराधिक अपील संख्या 472/2012 इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित दिनांक 5 अक्टूबर 2010 के आदेश पर आपत्ति जताती है। अपीलकर्ता ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में, 'सीआरपीसी') की धारा 482 के तहत एक याचिका दायर की, जिसमें आईपीसी की धारा 272 और 273 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए अभियोजन को रद्द करने की मांग की गई। दिनांक 11 मई 2010 को उत्तर प्रदेश राज्य ने एक आदेश जारी कर अधिकारियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 272 और 273 के साथ-साथ खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (संक्षेप में 'पी.एफ.ए.') के तहत मुकदमा चलाने की शक्ति प्रदान की। दिनांक 28 अगस्त 2010 को, क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक, आगरा का प्रतिनिधित्व करने वाले एक खाद्य निरीक्षक द्वारा याचिकाकर्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 272 और 273 के तहत अपराध करने का आरोप लगाते हुए एक प्रथम सूचना रिपोर्ट (संक्षेप में, 'एफ.आई.आर.') दर्ज की गई थी। आरोप यह था कि यद्यपि अपीलकर्ता के पास सरसों तेल की वस्तु बेचने का लाइसेंस नहीं था, फिर भी वह बिक्री का कारोबार करता रहा। दूसरा आरोप यह था कि याचिकाकर्ता ने सरसों के तेल, खाद्य तेल और चावल के नमकीन तेल में मिलावट की थी। याचिकाकर्ता ने विभिन्न आधारों पर एफआईआर को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। अपीलकर्ता ने **मेसर्स पेप्सिको इंडिया होल्डिंग्स (प्राइवेट) लिमिटेड एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य**¹ के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 8 सितंबर 2010 के निर्णय का अवलम्ब लिया। उक्त आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। संयोगवश, **पेप्सिको इंडिया** के मामले में लिया गया निर्णय उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा आपराधिक अपील संख्या 476 478/2012 में चुनौती का विषय है। इस मामले में प्रत्यर्थी के विरुद्ध दिनांक 11 अगस्त 2010 को भारतीय दंड संहिता की धारा 272 और 273 के तहत अपराध करने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज की गई थी। आरोप यह था कि प्रत्यर्थी द्वारा निर्मित कोल्ड ड्रिंक्स में मिलावट की गई थी। **पेप्सिको इंडिया** के मामले में यह दृष्टिकोण अपनाया गया कि 29 जुलाई 2010 से, जब एफएसएसए लागू हुआ, उसके प्रावधानों का भारतीय दंड संहिता की धारा 272 और 273 सहित खाद्य संबंधी कानूनों पर अधिभावी प्रभाव होगा। इसके अलावा, यह अवधारित किया गया कि पुलिस को एफएसएसए के तहत किसी मामले की जांच करने का कोई अधिकार या क्षेत्राधिकार नहीं है।
4. आपराधिक अपील संख्या 479/2012, आदेश दिनांक 15 सितम्बर 2010 पर आपत्ति जताती है, जिसमें उच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 272 और 273 के तहत दंडनीय अपराध को रद्द करने से इंकार कर दिया था। विशेष अनुमति याचिका (क्रि.) संख्या 1379/2011 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश

111 2010 एससीसी ऑनलाइन आल 1708

दिनांक 3 अगस्त 2010 को चुनौती दी गई है, जिसके द्वारा अपीलकर्ता द्वारा सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दायर याचिका को खारिज कर दिया गया था, जिसमें आईपीसी की धारा 272 और 273 के तहत अपराध करने का आरोप लगाते हुए एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई थी।

5. संक्षेप में, विवाद यह है कि क्या **पेप्सिको इंडिया** के मामले में लिया गया दृष्टिकोण सही है, जो कि आपराधिक अपील संख्या 476478/2012 में चुनौती का विषय है। उक्त निर्णय में यह अवधारित किया गया कि दिनांक 29 जुलाई 2010 से एफ.एस.एस.ए. के लागू होने के बाद, इसका पीएफए सहित अन्य खाद्य-संबंधी कानूनों पर अधिक प्रभाव पड़ेगा। इसलिए, उच्च न्यायालय ने अवधारित किया कि दिनांक 11 मई 2010 के शासनादेश के तहत खाद्य पदार्थों में मिलावट के संबंध में भारतीय दंड संहिता की धारा 272 और 273 का प्रयोग करना कानून की दृष्टि से गलत है।

प्रस्तुतियाँ

6. आपराधिक अपील संख्या 476-478/2012 में उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से विस्तृत प्रस्तुतियाँ दी गई हैं। राज्य की ओर से **स्वामी अच्युतानंद तीर्थ बनाम भारत संघ एवं अन्य²** तथा **महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य बनाम सैय्यद हसन सैय्यद सुभान एवं अन्य³** के मामलों में इस न्यायालय के निर्णयों पर अवलम्ब लिया गया। दलील यह है कि किसी अपराधी के खिलाफ दो अलग-अलग अधिनियमों के तहत मुकदमा चलाने पर कोई रोक नहीं है, बल्कि रोक केवल एक ही अपराध के लिए अपराधी को दो बार दंडित करने पर है। विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि जहां कोई कार्य या चूक दो अधिनियमों के तहत अपराध का गठन करती है, अपराधी पर दोनों अधिनियमों में से किसी एक या दोनों अधिनियमों के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है, लेकिन उसे एक ही अपराध के लिए दो बार दंडित नहीं किया जाएगा। साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (संक्षेप में, 'जी.सी. एक्ट') की धारा 26 पर अवलम्ब लिया गया। राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने **मध्य प्रदेश राज्य बनाम केडिया लेदर एंड लिकर लिमिटेड एवं अन्य⁴** के मामले में इस न्यायालय के एक अन्य निर्णय पर भी अवलम्ब लिया। उन्होंने कहा कि आईपीसी और एफएसएसए जैसे खाद्य संबंधी कानून का कार्यक्षेत्र पूरी तरह से अलग-अलग है और इसलिए ये परस्पर अनन्य हैं। विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि जैसा कि धारा के शीर्षक से स्पष्ट है धारा 89, एफएसएसए के प्रावधानों को अन्य सभी खाद्य-संबंधी कानूनों पर अधिभावी प्रभाव देती है। उन्होंने कहा कि आईपीसी किसी भी दृष्टि से खाद्य संबंधी कानून नहीं है। इसलिए, जहां कहीं भी एफएसएसए के लागू होने के बाद भी आईपीसी की धारा 272 और 273 लागू होती है, अपराधी पर उक्त आईपीसी प्रावधानों के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है।

7. अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने एफएसएसए और इसकी प्रस्तावना के उद्देश्यों और कारणों पर हमारा ध्यान आकर्षित किया। उनका कहना है कि एफएसएसए भोजन के सभी पहलुओं से निपटने वाला एक बहुत ही विस्तृत कानून है, जिसमें मिलावट, असुरक्षित भोजन आदि शामिल हैं। उनका कहना है कि धारा 89 का आईपीसी के प्रावधानों पर अत्यधिक प्रभाव पड़ेगा। हमारा ध्यान आईपीसी की धारा 5 और धारा 41 की ओर भी आकर्षित किया गया है। दलील यह है कि धारा 5 के मद्देनजर, कोई भी विशेष कानून आईपीसी के प्रावधानों से अप्रभावित रहेगा। **जीवन कुमार राउत और अन्य बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो⁵** के मामले में इस

222 (2014) 13 एससीसी 314

333 (2019) 18 एससीसी 145

444 (2003) 7 एससीसी 389

555 (2009) 7 एससीसी 526

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

न्यायालय के निर्णय पर अवलम्ब लिया गया। अभियुक्त के अधिवक्ता ने इस प्रस्ताव के समर्थन में **उत्तर प्रदेश राज्य बनाम अमन मित्तल एवं अन्य⁶** के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भी अवलम्ब लिया कि एफएसएसए एक विशेष कानून होने के कारण, उन क्षेत्रों के लिए आईपीसी की प्रयोज्यता को बाहर कर देगा जो विशेष अधिनियम के प्रावधानों द्वारा आच्छादित हैं।

प्रस्तुतियों पर विचार

8. समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं द्वारा एफएसएसए के विभिन्न प्रावधानों को अलग-अलग तिथियों पर लागू किया गया। ऐसी अंतिम अधिसूचना 29 जुलाई 2010 की है। एफएसएसए के सभी प्रावधान धारा 22 को छोड़कर दिनांक 29 जुलाई 2010 तक लागू थे। इन अपीलों में जिन अपराधों का उल्लेख है, वे 29 जुलाई 2010 के बाद पंजीकृत किए गए थे। हमने सभी पक्षों द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर ध्यानपूर्वक विचार किया है। एफएसएसए के उद्देश्यों और कारणों के विवरण में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि खाद्य कानूनों की बहुलता भ्रम पैदा करती है। कानूनों की बहुलता, मानक निर्धारण और विभिन्न कार्यान्वयन/प्रवर्तन एजेंसियां, नवजात खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास के लिए हानिकारक हैं। इसमें आगे यह भी प्रावधान किया गया है कि एफएसएसए माल के विनिर्माण, विपणन, प्रसंस्करण, हैंडलिंग, परिवहन, आयात और बिक्री में लगे व्यक्तियों को मार्गदर्शन और विनियमित करने के लिए एकल खिड़की उपलब्ध कराता है। एफएसएसए की प्रस्तावना में दर्ज है कि यह खाद्य से संबंधित कानूनों को समेकित करने के लिए एक अधिनियम था। यह खाद्य के सभी पहलुओं पर एक बहुत ही व्यापक कानून है।

9. एफएसएसए की धारा 3 का खंड (यय) असुरक्षित भोजन को परिभाषित करता है, जो इस प्रकार है:

"(यय) "असुरक्षित खाद्य" से कोई ऐसा खाद्य पदार्थ अभिप्रेत है जिसकी प्रकृति, पदार्थ या क्वालिटी इस प्रकार प्रभावित है जो इसे निम्नलिखित कारण से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बना देती है, -

- (i) स्वतः वस्तु या उसके पैकेज से, जो पूर्णतः या भागतः विषैले या हानिकारक पदार्थ से बना है; या
- (ii) उस वस्तु से जो पूर्णतः या भागतः गंदे, दूषित, सड़े, गले या रुग्ण पशुजन्य पदार्थ या वनस्पतिजन्य पदार्थ से बनी है; या
- (iii) उसके अस्वास्थ्यकर प्रसंस्करण के कारण या उस वस्तु में किसी हानिकारक पदार्थ की विद्यमानता से, या
- (iv) किसी घटिया या सस्ते पदार्थ के अनुकल्प द्वारा चाहे वह पूर्णतः हो या भागतः ;
- (v) किसी पदार्थ को सीधे या किसी संघटक के रूप में, जो अनुज्ञेय नहीं है, मिलाकर; या
- (vi) उसके किसी संघटक को पूर्णतः या भागतः निकालकर; या
- (vii) पदार्थ को इस प्रकार रंजित, सुरुचिकारक या विलेपित, चूर्णीकृत या पालिशीकृत करके जिससे पदार्थ को नुकसान होता हो या वह इस प्रकार छिपाया जाता है या उस पदार्थ को उससे बेहतर या अधिक मूल्य का प्रकट करना जैसा कि वह वास्तव में है; या

- (viii) किसी रंजक पदार्थ या परिरक्षी को, उससे भिन्न जो उसकी बाबत विनिर्दिष्ट किया गया है, उसमें मिलाकर; या
- (ix) उन पदार्थों से जो कृमियों, घुन या कीटों से विसंक्रमित या ग्रसित हैं; या
- (x) उनको तैयार किए जाने, पैक किए जाने या अस्वास्थ्यकर दशाओं में रखे जाने से;
- (xi) उसके मिथ्या छाप वाली या अवमानक होने या खाद्य में बाह्य पदार्थ होने से; या
- (xii) विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट मात्राओं से अधिक नाशक जीवमार और अन्य संदूषक अंतर्विष्ट होने के कारण ।"

(प्रभाव वर्धित)

इस प्रकार, असुरक्षित भोजन की अवधारणा मिलावटी भोजन की अवधारणा से अधिक व्यापक है। असुरक्षित भोजन का अर्थ है ऐसा खाद्य पदार्थ जिसकी प्रकृति, पदार्थ या गुणवत्ता इस प्रकार प्रभावित हो कि वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो।

10. अवमानक शब्द को धारा 3 के खंड (यभ) के तहत परिभाषित किया गया है, जो इस प्रकार है:

"(यभ) "अवमानक", से कोई खाद्य पदार्थ तब अवमानक समझा जाएगा यदि वह विनिर्दिष्ट मानकों को पूरा नहीं करता है किन्तु उससे खाद्य पदार्थ असुरक्षित नहीं होता है; "

11. एक अन्य महत्वपूर्ण परिभाषा धारा 3 के खंड (क) के तहत अपद्रव्य की है, जो इस प्रकार है:

"(क) "अपद्रव्य" से ऐसी कोई सामग्री अभिप्रेत है, जिसका उपयोग खाद्य को असुरक्षित या अवमानक या मिथ्या छाप वाला बनाने के लिए किया जाता है या किया जा सकता है या जिसमें बाह्य पदार्थ अंतर्विष्ट हैं; "

असुरक्षित भोजन की परिभाषा पर वापस आते हुए, धारा 3 के खंड (यय) के उपखंड (v) में प्रावधान है कि किसी पदार्थ को सीधे या घटक के रूप में मिलाना, जिसकी अनुमति नहीं है, किसी खाद्य पदार्थ को असुरक्षित भोजन बना देता है। किसी खाद्य पदार्थ में किसी हानिकारक पदार्थ की उपस्थिति उसे असुरक्षित खाद्य पदार्थ बनाती है। इसलिए, यदि किसी खाद्य पदार्थ में कोई मिलावट कर दी जाए, जिससे वह खाद्य पदार्थ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाए, तो वह खाद्य पदार्थ असुरक्षित हो जाता है।

12. अपराध और दंड अध्याय IX में निहित हैं। धारा 48 की उपधारा 1 में यह बताया गया है कि किसी भी खाद्य पदार्थ को स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार हानिकारक बनाया जा सकता है। धारा 48 की उपधारा 1 इस प्रकार है:

"(1) कोई व्यक्ति किसी खाद्य वस्तु को इस जानकारी के साथ कि वह मानव उपभोग के लिए विक्रय की जा सकेगी या विक्रय के लिए प्रस्थापित की जा सकेगी या वितारित की जा सकेगी, निम्नलिखित संक्रियाओं में से किसी एक या अधिक संक्रिया द्वारा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बनाता है, अर्थात:-

- (क) खाद्य में कोई वस्तु या पदार्थ मिलाकर;
- (ख) खाद्य की तैयारी में किसी अवयव के रूप में किसी वस्तु या पदार्थ का उपयोग करके;
- (ग) खाद्य से किसी संघटक को निकालकर; या
- (घ) खाद्य के साथ कोई अन्य प्रक्रिया या उपचार करके।"

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।

इस प्रकार, यदि कोई व्यक्ति जानता है कि कोई विशेष खाद्य पदार्थ मानव उपभोग के लिए बिक्री या वितरण के लिए पेश किया जा रहा है और वह उस खाद्य पदार्थ में कोई मिलावट (वस्तु या पदार्थ) मिला देता है, तो वह उस खाद्य पदार्थ को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बना देता है। अध्याय IX में धारा 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 और 58 दंड से संबंधित हैं। धारा 59 से 64 और 66 विशेष रूप से अपराधों से संबंधित हैं। अध्याय 10 की धारा 74, केन्द्र सरकार या राज्य सरकार को उपभोक्ता की गंभीर चोट या मृत्यु से संबंधित अपराधों के मुकदमे के लिए विशेष न्यायालय स्थापित करने का अधिकार देती है, जिसके लिए कारावास की सजा 3 वर्ष से अधिक है।

13. धारा 34 की उपधारा 3 में यह प्रावधान किया गया है कि विशेष न्यायालय द्वारा एफ.एस.एस.ए. के तहत किसी अपराध के विचारण को किसी अन्य न्यायालय में अभियुक्त के विरुद्ध किसी अन्य मामले के अभियोजन पर वरीयता प्राप्त होगी। ऐसे मामलों में जहां अपराध विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय नहीं हैं, एफएसएसए की धारा 73 के तहत, न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालयों को सीआरपीसी की धारा 262 से 265 के तहत मामले की संक्षिप्त सुनवाई करने की शक्ति प्रदान की गई है। विशेष न्यायालय के किसी निर्णय या आदेश के विरुद्ध धारा 76 के अंतर्गत उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। अपील कम से कम दो न्यायाधीशों वाली पीठ के समक्ष होती है। एक अन्य लाभकारी प्रावधान धारा 77 है, जो किसी भी न्यायालय को अपराध की तिथि से एक वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद एफएसएसए के तहत अपराध का संज्ञान लेने से रोकता है। हालाँकि, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, दर्ज कारणों से, अवधि को एक वर्ष से बढ़ाकर तीन वर्ष कर सकते हैं। एफएसएसए की धारा 79, सीआरपीसी की धारा 29 को रद्द करती है और यह प्रावधान करती है कि सामान्य क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय के लिए एफएसएसए के तहत प्राधिकृत कोई भी सजा सुनाना वैध होगा, सिवाय सीआरपीसी की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों से अधिक छह वर्ष की अवधि के कारावास की सजा के। धारा 78 में यह प्रावधान है कि एफएसएसए के तहत किसी भी अपराध के परीक्षण के दौरान किसी भी समय, जब किसी अपराध को आयातक, निर्माता, वितरक या डीलर के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया माना जाता है, तो उसके समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर न्यायालय को आयातक, निर्माता, वितरक या डीलर के खिलाफ कार्यवाही करने का अधिकार है। यह प्रावधान स्पष्ट रूप से सीआरपीसी की धारा 319 की उपधारा 3 के प्रावधान पर अधिभावी प्रभाव देता है। एक अन्य लाभकारी प्रावधान धारा 80 है, जिसमें उन बचावों की सूची दी गई है, जिन्हें एफएसएसए के तहत अभियोजन में अनुमति दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती है। उदाहरण के लिए, यह प्रावधान किया गया है कि यह कोई बचाव नहीं है कि अभियुक्त को अपराध के तथ्यों के बारे में गलत लेकिन उचित विश्वास था।

14. इसलिए, जहां तक खाद्य और खाद्य सुरक्षा से संबंधित अपराधों का सवाल है, एफएसएसए में खाद्य और खाद्य सुरक्षा के सभी पहलुओं पर विचार करने के लिए बहुत व्यापक प्रावधान किए गए हैं।

15. इन मामलों के तथ्यों में, एफएसएसए की धारा 59 के तहत अपराध बहुत प्रासंगिक है, जो इस प्रकार है:

“59. असुरक्षित खाद्य के लिए दंड- कोई व्यक्ति जो, चाहे स्वयं या अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मानव उपभोग के लिए किसी खाद्य वस्तु का, जो असुरक्षित है, विक्रय के लिए विनिर्माण करता है या भंडारण या विक्रय या वितरण या आयात करता है-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(i) जहां ऐसी असफलता या उल्लंघन के परिणामस्वरूप क्षति कारित नहीं होती है वहां वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी जो तीन लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा⁷;

(ii) जहां ऐसी असफलता या उल्लंघन के परिणामस्वरूप कोई घोर क्षति कारित नहीं होती है, वहां वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी जो तीन लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा;

(iii) जहां ऐसी असफलता या उल्लंघन के परिणामस्वरूप कोई घोर क्षति होती है वहां वह कारावास से जिसकी अवधि छह वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी जो पांच लाख रुपए तक हो सकेगा, दंडनीय होगा;

(iv) जहां ऐसी असफलता या उल्लंघन के परिणामस्वरूप मृत्यु हो जाती है, वहां वह कारावास से जिसकी अवधि सात वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी जो दस लाख रुपए से कम नहीं होगा, दंडनीय होगा।

कोई भी व्यक्ति, चाहे स्वयं या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, मानव उपभोग के लिए असुरक्षित खाद्य का विनिर्माण या भंडारण या बिक्री या आयात करता है, तो वह असुरक्षित खाद्य से संबंधित अपराध का दोषी हो जाता है। जैसा कि देखा जा सकता है, असुरक्षित भोजन से हुई क्षति की सीमा और प्रकृति के आधार पर, 3 महीने के कारावास से लेकर आजीवन कारावास और जुर्माने तक की अलग-अलग सजा का प्रावधान है। जुर्माना तीन लाख रुपये से लेकर दस लाख रुपये तक है।

16. इन अपीलों में, हम केवल आईपीसी की धारा 272 और 273 पर विचार कर रहे हैं। जो निम्नांकित रूप से उद्धृत है:

"272. बिक्रय के लिए आशयित खाद्य या पेय का अपमिश्रण- जो कोई किसी खाने या पीने की वस्तु को इस आशय से कि वह ऐसी वस्तु के खाद्य या पेय के रूप में बेचे या यह संभाव्य जानते हुए कि वह खाद्य या पेय के रूप में बेची जाएगी, ऐसे अपमिश्रित करेगा कि ऐसी वस्तु खाद्य या पेय के रूप में अपायकर बन जाए वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

273. अपायकर खाद्य या पेय का विक्रय — जो कोई किसी ऐसी वस्तु को, जो अपायकर कर दी गई हो, या हो गई हो, या खाने पीने के लिए अनुपयुक्त दशा में हो, यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह खाद्य या पेय के रूप में अपायकर है, खाद्य या पेय के रूप में बेचेगा, या बेचने की प्रस्थापना करेगा या बेचने के लिए अभिदर्शित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।"

7 77 अधिनियम 18/2023 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा (दिनांक 8-11-2023 से) "छह महीने तक की अवधि के लिए कारावास और एक लाख रुपये तक के जुर्माने" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।

17. धारा 272 किसी भी खाद्य या पेय पदार्थ में मिलावट करने का अपराध है। एफएसएसए की धारा 3 के खंड (क) के तहत खाद्य की परिभाषा में तरल पदार्थ भी शामिल है। यदि किसी खाद्य पदार्थ में मिलावट की जाती है, जिससे वह खाद्य या पेय पदार्थ हानिकारक हो जाता है, तो मिलावट करने वाला व्यक्ति भारतीय दंड संहिता की धारा 272 के अंतर्गत दंडनीय अपराध का दोषी होगा। इसमें यह विचार किया गया है कि आरोपी मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने के इरादे से खाद्य पदार्थों में मिलावट कर रहा है। इस प्रकार, इरादा अपराध का एक घटक है। जब किसी खाद्य पदार्थ या तरल पदार्थ में मिलावट करके उसे हानिकारक या जहरीला बना दिया जाता है, तो यह कहा जा सकता है कि वह विषाक्त हो जाता है। यदि मिलावट के कारण कोई खाद्य पदार्थ हानिकारक हो जाता है, तो वह एफएसएसए की धारा 3 (यय) के अंतर्गत असुरक्षित खाद्य पदार्थ बन जाता है।

18. भारतीय दंड संहिता की धारा 273 तब लागू होती है जब कोई व्यक्ति किसी ऐसे खाद्य या पेय पदार्थ को बेचता है, बिक्री के लिए प्रस्तुत करता है या प्रदर्शित करता है जो हानिकारक हो गया है या खाने या पीने के लिए अनुपयुक्त हो गया है। धारा 273 में इस ज्ञान या उचित विश्वास की आवश्यकता शामिल है कि बेचा गया या बिक्री के लिए प्रस्तुत किया गया भोजन या पेय हानिकारक है। एफएसएसए की धारा 59 में आईपीसी की धारा 272 के अनुसार इरादे की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है। एफएसएसए की धारा 59 के अंतर्गत, वह व्यक्ति अपराध करता है जो स्वयं या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मानव उपभोग के लिए किसी भी ऐसे खाद्य पदार्थ का विनिर्माण, भंडारण, बिक्री या वितरण करता है जो असुरक्षित है। इसलिए, एफएसएसए की धारा 59 के तहत अपराध बनता है, भले ही आईपीसी की धारा 272 के अनुसार इरादे का अभाव हो। हालाँकि, ज्ञान धारा 48 की उपधारा 1 में एक आवश्यक घटक है, और इसलिए, यह एफएसएसए की धारा 59 का एक हिस्सा होगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 272 के अंतर्गत अपराध के लिए अधिकतम सजा छह महीने तक का कारावास या जुर्माना है। धारा 273 के तहत दंडनीय अपराध के लिए मूल सजा समान है, जबकि धारा 59 के तहत सजा तीन महीने से लेकर आजीवन कारावास तक की है तथा तीन लाख रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना है।

19. इसके अलावा, धारा 59 के तहत अपराध के लिए एक वर्ष की सीमा प्रदान की गई है, जिसे एफएसएसए की धारा 77 के अनुसार तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। सीआरपीसी की धारा 468 के अनुसार, धारा 272 और 273 के तहत दंडनीय अपराध का संज्ञान लेने की समय सीमा एक वर्ष है। सीआरपीसी की धारा 473 के तहत समय बढ़ाने का अधिकार है। यह अधिकार तीन साल तक सीमित नहीं है।

निष्कर्ष

20. इस प्रकार, असुरक्षित भोजन से संबंधित अपराधों पर विचार करने के लिए एफएसएसए में बहुत व्यापक ठोस और प्रक्रियात्मक प्रावधान हैं। इस संदर्भ में, हमें एफएसएसए की धारा 89 के प्रभाव पर विचार करना चाहिए। धारा 89 इस प्रकार है:

“89. इस अधिनियम का अन्य सभी खाद्य संबंधी विधियों पर अध्यारोही प्रभाव होना—इस अधिनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त कि अन्य विधि में या इस अधिनियम से भिन्न किसी अन्य विधि के फलस्वरूप प्रभावी कि अन्य लिखत में इसके असंगत किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे।”

इस खंड का शीर्षक वास्तव में यह इंगित करता है कि इसका उद्देश्य एफएसएसए को सभी 'खाद्य-संबंधी कानूनों' पर अधिभावी प्रभाव प्रदान करना है। हालाँकि, मुख्य धारा में, 'खाद्य संबंधी कानूनों' तक सीमित ऐसा कोई

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

प्रतिबंध नहीं है, और यह प्रावधान किया गया है कि एफएसएसए के प्रावधान वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून में निहित किसी भी असंगत बात के बावजूद प्रभावी होंगे। इसलिए, यह धारा यह इंगित करती है कि एफएसएसए के प्रावधानों को किसी भी अन्य कानून पर अधिभावी प्रभाव दिया गया है। स्थापित नियम यह है कि यदि मुख्य धारा स्पष्ट है, तो उसकी व्याख्या करने के लिए धारा के शीर्षक या उसके हाशिए पर दिए गए नोट की सहायता नहीं ली जा सकती। केवल तभी जब यह अस्पष्ट हो, विधायिका की मंशा को समझने के लिए धारा के शीर्षक या हाशिए पर दिए गए नोट को देखा जा सकता है। इसलिए, मुख्य धारा स्पष्ट रूप से एफएसएसए के प्रावधानों को किसी भी अन्य कानून पर अधिभावी प्रभाव देती है, जहां तक कानून एफएसएसए द्वारा कवर किए गए क्षेत्र में खाद्य के पहलुओं पर लागू होता है। इस मामले में हम केवल भारतीय दंड संहिता की धारा 272 और 273 से संबंधित हैं। जब भारतीय दंड संहिता की धारा 272 और 273 के तहत अपराध सिद्ध हो जाते हैं, तो एफएसएसए की धारा 59 के तहत भी अपराध लागू होगा। वास्तव में, एफएसएसए की धारा 59 के अंतर्गत अपराध अधिक कठोर है।

21. **स्वामी अच्युतानंद तीर्थ** के मामले में इस न्यायालय का निर्णय इस आकस्मिकता से बिल्कुल भी संबंधित नहीं है। **महाराष्ट्र राज्य** के मामले में, एफएसएसए की धारा 97 के प्रभाव का प्रश्न इस न्यायालय के विचारार्थ नहीं उठा। न्यायालय ने एक साथ चलाए जा रहे अभियोजनों पर विचार किया और निष्कर्ष निकाला कि एक साथ अभियोजन तो हो सकता है, लेकिन दोषसिद्धि और सजा केवल एक ही मामले में हो सकती है। यह प्रस्ताव जी.सी. अधिनियम की धारा 26 में निहित प्रावधानों पर आधारित है। हमें इस बात में कोई संदेह नहीं है कि एफएसएसएआई की धारा 89 के आधार पर, धारा 59 आईपीसी की धारा 272 और 273 के प्रावधानों को रद्द कर देगी। इसलिए, दोनों कानूनों के तहत एक साथ अभियोजन का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

22. तदनुसार, आपराधिक अपील संख्या 472/2012, आपराधिक अपील संख्या 479/2012 तथा एसएलपी (क्रि.) संख्या 1379/2011 से उत्पन्न आपराधिक अपील सफल होती है, तथा हम आक्षेपित आदेशों को अपास्त करते हैं। इन अपीलों का विषय बने अपराधों को निरस्त किया जाता है तथा प्राधिकारियों को यह स्वतंत्रता दी जाती है कि यदि पहले से कार्यवाही शुरू नहीं की गई है तो वे कानून के अनुसार उचित कार्यवाही शुरू कर सकते हैं। इसलिए, संबंधित प्राधिकारी एफएसएसए की धारा 59 के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के लिए एफएसएसए के अनुसार कार्य करने के लिए स्वतंत्र हैं। आपराधिक अपील संख्या 476-478/2012 खारिज की जाती है।

23. लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

हेडनोट्स तैयार किए गए: दिव्या पांडे

वाद का परिणाम:

आपराधिक अपील संख्या 472/2012, 479/2012

तथा एसएलपी (क्रि.) संख्या 1379/2011 से उत्पन्न

आपराधिक अपील को अनुमति दी गई;

आपराधिक अपील संख्या 476-478/2012

को खारिज कर दिया गया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।